ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों की समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

हंसराज पाल*
राकेश देवड़ा**

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन की शुरुआत हमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की ओर ध्यान आकृष्ट करने पर हम पाते हैं कि वे अपना अध्यापन कार्य रुचिपूर्वक नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण अध्यापकों के सामने अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं। अतः शिक्षा-स्तर के उन्नयन हेतु, हमें अध्यापकों की स्थिति में सुधार करना होगा। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यद्यपि भारत सरकार द्वारा भरसक प्रयासों के बावजूद इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः सन् 2002 में संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण/लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, समय-समय पर कई शैक्षिक कार्यक्रम जैसे– पढ़ना-बढ़ना, शिक्षा गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम आदि चलाए गए। शासन द्वारा इन कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन का यथासम्भव प्रयास किया गया, परंतु इसमें भी अपेक्षित/पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण इन सभी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव के साथ-साथ, अध्यापकों की अप्रभावी भूमिका भी है, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः यदि हम सच्चे अर्थों में शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना चाहते

* *आचार्य,* शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश
** *यूजीसी वरिष्ठ शोध अध्येता,* शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

हैं, तो हमें शुरुआत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की ओर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि वे अपना अध्यापन कार्य रुचिपूर्वक नहीं कर पाते हैं। इसका कारण अध्यापकों के सामने अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं। अत: शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु, हमें अध्यापकों की स्थिति में सुधार करना होगा। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत शोध इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है।

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्यापकों के संबंध में अनेक शोध कार्य हुए हैं। यह शोध कार्य– दास (1979), मेहता (1985), पिल्लई (1985), बग्गा (1983), अहमद (1986), चड्ढा (1985), डोंगा (1987), मोहनराव (1985), शुक्ला (1984), अदावल (1952), शर्मा (1971), बुच एवं संथानम (1971), शर्मा (1972), थक्कर (1977), मुथा (1980), व्यास (1982), शर्मा (1984), मीरा (1988), सिंह (1987), श्रीवास्तव (1989), चौधरी (1990), कुक्रेती (1990), दीवान (1991), रेड्डी (1991), शाह (1991), सिंह (1991), दीवान (1992), व्यास (1992), शाह (1995), अली (1998), एवं भसीन (1998) आदि द्वारा किए गए हैं। इन शोध कार्यों में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक शाला के अध्यापकों की अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से संबंधित कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। इससे प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य था–

''ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों की समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन''

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि इन्दौर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक थे। इस समष्टि में से न्यादर्श के रूप में बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के 174 अध्यापकों (90 पुरुष एवं 84 महिला) का उद्देश्यपरक न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। न्यादर्श हेतु बड़वानी जिले के गाँवों–सिवई, हरिबड़, नंदगाँव, पाडला, सनगाँव, तलवाड़ा, भमोरी, करी, तलुन, हतौला, उचावद, फत्यापुर, सेगाँव, बालकुआँ, बिलवानी, सजवानी, सुराना, बोरलाय, बिलवा, बजट्टा, चिबानियाँ, नांगलवाड़ी, साली, लोनसरा, मोयदा, सालखेड़ा, रनगाँव, पलसुद, पानसेमल, बोखराटा, पाटी, सिलावद, मण्डवाडा इत्यादि के अध्यापकों का चयन किया गया। न्यादर्श में चयनित अध्यापकों की उम्र 23 से 45 वर्ष के मध्य थी। चयनित अध्यापकों में उच्च, निम्न एवं मध्यम तीनों सामाजिक आर्थिक स्तर के अध्यापक सम्मिलित थे।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 'प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों की समस्याएँ' परिवर्ती से संबंधित प्रदत्त एकत्र किए गए। इस परिवर्ती के आकलन हेतु शोधकों द्वारा 'बंद प्रश्नावली' (Closed

Questionnaire) विकसित की गयी। प्रश्नावली में मुख्य रूप से अध्यापकों के गैर शैक्षणिक कार्यों, वेतन, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों, विद्यार्थियों, श्रव्य-दृश्य सामग्री व तकनीकी उपकरण, पाठ्य सहगामी गतिविधियों, आवागमन, प्रशिक्षण, अध्यापक अभिभावक संघ, हस्तक्षेप एवं अन्य पक्षों से संबंधी समस्याओं पर प्रश्न थे। प्रश्नावली में कुल प्रश्नों की संख्या 47 थी। प्रत्येक प्रश्न के सामने दो विकल्प 'हाँ' और 'नहीं' थे।

प्रदत्त संकलन

प्रस्तुत शोध हेतु सर्वप्रथम न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों के प्राचार्यों से शोध कार्य हेतु अनुमति ली गयी। इसके साथ ही संबंधित संकुल प्रभारी एवं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बड़वानी के प्राचार्य से भी शोध कार्य हेतु अनुमति ली गयी। इसके पश्चात् न्यादर्श के रूप में चयनित अध्यापकों से आत्मीय संबंध स्थापित किया गया। उन्हें शोध विषय से परिचित करवाकर, शोध का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। इसके पश्चात् प्रदत्त संकलन हेतु निर्मित प्रश्नावली की आवश्यक छायाप्रतियाँ करवायी गईं। तत्पश्चात् अध्यापकों को मौखिक रूप से प्रश्नावली को भरने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। प्रत्येक अध्यापक को पृथक-पृथक प्रश्नावली भरने को दी गयी। यह प्रश्नावली अध्यापकों से उनके संबंधित विद्यालयों, संकुल बैठकों एवं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बड़वानी में भरवायी गयी। अध्यापकों से प्रश्नावली पर अनुक्रिया प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक विकल्प पर आवृत्ति की गणना कर प्रतिशत मान प्राप्त किया गया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों की समस्याओं हेतु प्रदत्त एकत्र किए गए।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों की समस्याओं से संबंधित प्रदत्त का विश्लेषण 'प्रतिशत मान' के आधार पर किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका 'क' से 'ट' तक में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका 'क'-'ट' - ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयीन अध्यापकों के मतों के विकल्पवार प्रतिशत को दर्शाती तालिकाएँ

क्र.सं.	समस्या	विकल्प पर प्रतिशत	
		हाँ	नहीं
	'क' गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित समस्याएँ		
1	चुनाव पूर्व मतदान सूची हेतु सर्वेक्षण, तथा चुनाव एवं मतगणना में ड्यूटी	90	10
2	मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना	82	18
3	विद्यार्थियों के गणवेश वितरण संबंधी तैयारियाँ करना	70	30

4	साइकिल वितरण की व्यवस्था करना	60	40
5	छात्रवृत्ति प्रतिलेख तैयार करना	92	08
6	जनगणना संबंधित कार्य	84	16
7	पशु गणना संबंधित कार्य	64	36
8	आर्थिक स्थिति से संबंधित सर्वेक्षण	58	42
9	टीकाकरण में सहयोग	60	40
10	परिवार नियोजन कार्य में सहयोग	56	44
11	विकलांगता से संबंधित सर्वेक्षण	54	46
12	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण	58	42
13	ग्रामीण शिक्षा पन्जी द्वारा सर्वेक्षण	80	20
14	जन शिक्षा केंद्र/बीईओ/बीआरसीसी/संकुल प्राचार्य को छात्रवृत्ति, शैक्षिक प्रगति व पाठ्यसहगामी गतिविधियों से संबंधित अत्यधिक जानकारी प्रदान करने का कार्य	94	06
'ख' वेतन संबंधी समस्याएँ			
15	कम वेतनमान का होना	100	00
16	वेतन का समय पर प्राप्त न होना	92	08
'ग' भौतिक एवं मानवीय संसाधन संबंधित समस्याएँ			
17	विद्यालय भवन का क्षतिग्रस्त होना	60	40
18	समृद्ध पुस्तकालयों का अभाव	96	04
19	विद्यालय में पर्याप्त कक्षों का अभाव	70	30
20	फर्नीचर की अपर्याप्त संख्या	84	16
21	पीने के पानी की व्यवस्था न होना	78	22
22	शौचालय एवं मूत्रालय का अभाव	58	42
23	बिजली का अभाव	94	06
24	शिक्षकों की संख्या का पर्याप्त न होना	96	04

25	खेल शिक्षक का अभाव	92	08
'घ' विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएँ			
26	विद्यार्थियों की निरंतर अनुपस्थिति	100	00
27	विद्यार्थियों का कक्षा कार्य व गृह कार्य न करना	96	04
'ङ' शृव्य-दृश्य सामग्री व तकनीकी उपकरण से संबंधित समस्याएँ			
28	नवीन तकनीकी उपकरणों जैसे-ओ. एच. पी., एल. सी. डी. प्रक्षेपक, कंप्यूटर इत्यादि का अभाव	100	00
29	विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रतिमानों (Model), चार्ट, रेखाचित्रों, प्रवाह चित्रों आदि का अभाव	96	04
30	शिक्षक सहायक सामग्रियों हेतु समय पर वित्त प्राप्त न हो पाना	90	10
'च' पाठ्य-सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएँ			
31	पाठ्य-सहगामी गतिविधियों के आयोजन की समस्या	74	26
32	खेल शिक्षक के अभाव में खेलकूद सत्र आयोजित करने की समस्या	78	22
'छ' आवागमन संबंधी समस्याएँ			
33	घर से विद्यालय का अधिक दूरी पर एकांत में होना	60	40
34	वाहनों की अनुपलब्धता	88	12
35	पक्की सड़कों का अभाव	86	14
36	बारिश में गंदगी, कीचड़, सड़कों के खराब होने एवं नालों/नदियों में उफ़ान की समस्या	92	08
'ज' प्रशिक्षण संबंधी समस्याएँ			
37	अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव	94	06
38	ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन न किया जाना	86	14
'झ' अध्यापक-अभिभावक संघ संबंधी समस्याएँ			
39	अध्यापक-अभिभावक संघ को समय पर पर्याप्त वित्त प्राप्त न हो पाना	84	16
40	अभिभावकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त न हो पाना	92	08

'ञ' हस्तक्षेप संबंधी समस्याएँ			
41	विद्यार्थियों के प्रवेश के समय अभिभावक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप	82	18
42	विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करवाने के लिए हस्तक्षेप	92	08
43	विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़वाने हेतु हस्तक्षेप	86	14
44	विद्यार्थियों को विद्यालय समय में ही छुट्टी दिलवाने हेतु हस्तक्षेप	96	04
'ट' अन्य			
45	पाठ्यचर्या का स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति न करना	76	26
46	मूल विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्यापन करना	98	02
47	ग्रामीण व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त न होना	92	08
48	ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के महत्व की उपेक्षा करना	92	08

विवेचना

तालिका 'क' से स्पष्ट है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों से संबंधित समस्याओं में, 90 प्रतिशत अध्यापकों ने चुनाव पूर्व मतदान सूची हेतु सर्वेक्षण, तथा चुनाव एवं मतगणना में ड्यूटी, 82 प्रतिशत अध्यापकों ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों के गणवेश वितरण संबंधी तैयारियाँ करना, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने साइकिल वितरण की व्यवस्था करना, 92 प्रतिशत अध्यापकों ने छात्रवृत्ति प्रतिलेख तैयार करना, 84 प्रतिशत अध्यापकों ने जनगणना संबंधित कार्य करना, 64 प्रतिशत अध्यापकों ने पशु गणना संबंधित कार्य करना, 58 प्रतिशत अध्यापकों ने आर्थिक स्थिति से संबंधित सर्वेक्षण करना, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने टीकाकरण में सहयोग करना, 56 प्रतिशत अध्यापकों ने परिवार नियोजन कार्य में सहयोग करना, 54 प्रतिशत अध्यापकों ने विकलांगता से संबंधित सर्वेक्षण करना, 58 प्रतिशत अध्यापकों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करना, 80 प्रतिशत अध्यापकों ने ग्रामीण शिक्षा पन्जी द्वारा सर्वेक्षण करना, एवं 94 प्रतिशत अध्यापकों ने जन शिक्षा केंद्र/बीईओ/बीआरसीसी/संकुल प्राचार्य को छात्रवृत्ति, शैक्षिक प्रगति व पाठ्य- सहगामी गतिविधियों से संबंधित अत्यधिक जानकारी प्रदान करना समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ख' से स्पष्ट है कि वेतन संबंधी समस्याओं में 100 प्रतिशत अध्यापकों ने कम वेतनमान एवं 92 प्रतिशत अध्यापकों ने वेतन के समय पर प्राप्त न होने की समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ग' से स्पष्ट है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधन संबंधित समस्याओं में 60 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यालय भवन का क्षतिग्रस्त होना, 96 प्रतिशत अध्यापकों ने समृद्ध पुस्तकालयों का अभाव, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यालय में पर्याप्त कक्षों का अभाव, 84 प्रतिशत अध्यापकों ने फर्नीचर की अपर्याप्त संख्या, 78 प्रतिशत अध्यापकों ने पीने के पानी की व्यवस्था न होना,

58 प्रतिशत अध्यापकों ने शौचालय एवं मूत्रालय का अभाव, 94 प्रतिशत अध्यापकों ने बिजली का अभाव, 96 प्रतिशत अध्यापकों ने शिक्षकों की संख्या का पर्याप्त न होना एवं 92 प्रतिशत अध्यापकों ने खेल शिक्षक का अभाव समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'घ' से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं में 100 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों की निरंतर अनुपस्थिति, एवं 96 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों का कक्षा कार्य व गृह कार्य न करके लाना समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ङ' से स्पष्ट है कि श्रृव्य-दृश्य सामग्री व तकनीकी उपकरण से संबंधित समस्याओं में 100 प्रतिशत अध्यापकों ने नवीन तकनीकी उपकरणों जैसे-ओ. एच. पी., एल. सी. डी. प्रक्षेपक, कंप्यूटर इत्यादि का अभाव, 96 प्रतिशत अध्यापकों ने विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रतिमानों (Model), चार्ट, रेखाचित्रों, प्रवाह चित्रों आदि का अभाव, एवं 90 प्रतिशत अध्यापकों ने शिक्षक सहायक सामग्रियों हेतु समय पर वित्त प्राप्त न हो पाना समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'च' से स्पष्ट है कि पाठ्य-सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याओं में 74 प्रतिशत अध्यापकों ने पाठ्य-सहगामी गतिविधियों के आयोजन की समस्या, एवं 78 प्रतिशत अध्यापकों ने खेल शिक्षक के अभाव में खेलकूद सत्र आयोजित करने की समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'छ' से स्पष्ट है कि आवागमन संबंधी समस्याओं में 60 प्रतिशत अध्यापकों ने घर से विद्यालय का अधिक दूरी पर एकांत में होना, 88 प्रतिशत अध्यापकों ने वाहनों की अनुपलब्धता, 86 प्रतिशत अध्यापकों ने पक्की सड़कों का अभाव, 92 प्रतिशत अध्यापकों ने बारिश में गंदगी, कीचड़, सड़कों के खराब होने एवं नालों/नदियों में उफान की समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ज' से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं में 94 प्रतिशत अध्यापकों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, एवं 86 प्रतिशत अध्यापकों ने ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन न किया जाना समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'झ' से स्पष्ट है कि अध्यापक अभिभावक संघ संबंधी समस्याओं में 84 प्रतिशत अध्यापकों ने अभिभावकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त न हो पाना, एवं 92 प्रतिशत अध्यापकों ने अध्यापक-अभिभावक संघ को समय पर पर्याप्त वित्त प्राप्त न हो पाना समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ञ' से स्पष्ट है कि हस्तक्षेप संबंधी समस्याओं में 82 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों के प्रवेश के समय अभिभावक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, 92 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करवाने के लिए हस्तक्षेप, 86 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़वाने हेतु हस्तक्षेप, एवं 96 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यार्थियों को विद्यालय समय में ही छुट्टी दिलवाने हेतु हस्तक्षेप समस्याएँ बतायीं।

तालिका 'ट' से स्पष्ट है कि अन्य समस्याओं के अंतर्गत 76 प्रतिशत अध्यापकों ने पाठ्यचर्या का स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, 98 प्रतिशत अध्यापकों ने मूल विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्यापन करना, 92 प्रतिशत अध्यापकों ने ग्रामीण व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त न होना, एवं 92 प्रतिशत अध्यापकों ने ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के

महत्त्व की उपेक्षा करना समस्याएँ बतायीं।

उक्त तालिकाओं में वर्णित समस्याओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के मनोबल को बनाए रखने और विद्यार्थियों की उपलब्धि को बेहतर बनाए रखने के लिए इन समस्याओं से निजात पाना अति आवश्यक है। शिक्षा प्रशासकों, नियोजकों तथा पाठ्यचर्या निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा की मज़बूत नींव पड़ सके।

आलेख में चर्चा की गई समस्याओं से शिक्षकों का अध्यापन कार्य काफी बुरी तरह से प्रभावित होता है। शिक्षा प्रशासकों तथा नियोजकों को चाहिए कि इन्हें दूर करने का प्रयास करें ताकि अध्यापक अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

इन समस्याओं को मोटे तौर पर दो भागों में बाँट सकते हैं। पहली वित्तीय समस्याएँ तथा दूसरी गैर वित्तीय समस्याएँ। ऐसी समस्याएँ जिन्हें दूर करने में वित्त की आवश्यकता होती है। उन्हें गैर-वरीयता की श्रेणी में रखकर उन समस्याओं पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है जो उपलब्ध वित्त में या बिना किसी वित्तीय व्यवस्था के दूर की जा सकती है। जैसे समय पर वेतन दिलवाना या सहायक सामग्री हेतु समय पर वित्त उपलब्ध कराना या अन्य किसी भी गतिविधि हेतु आने वाली सहायता को समय पर उपलब्ध कराने हेतु कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को सुधारना और उन्हें समय पर गृहकार्य के लिए प्रेरित करना या अध्यापक को मूल विषय का अध्यापन करवाना जैसी समस्याओं को अध्यापक प्रधानाध्यापक व अभिभावकों से मिलकर दूर किया जा सकता है।

इसी प्रकार कुछ समस्याएँ राजनैतिक स्तर की होती हैं जैसे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़वाना व विद्यालयीन समय में छात्रों की छुट्टी दिलवाने में हस्तक्षेप करना। इन समस्याओं से निजात पाने हेतु आपसी समझ व स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

अम्बुकेन, टी. 1969. द *सोशल सायकोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी.न्यूयार्क*–स्प्रिंजर-वर्लाग.

कुमार, कृष्ण. 1996. *बच्चे की भाषा और अध्यापक* – एक निर्देशिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*, नयी दिल्ली – दिल्ली – हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.

पाल, हंसराज एवं शर्मा, मंजुलता. 2007. *प्रतिभाशालियों की शिक्षा*, नयी दिल्ली, शिप्रा पब्लिकेशन्स.

बेरन, एफ. 1969. *क्रिएटिव परसन एवं क्रिएटिव प्रोसेस न्यूयार्क*– होल्ट रिनेहार्ट एंड विन्सटन